न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः–भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 38 / 2020

वादीगण

1. श्रीमती मोहनीदेवी पत्नी स्व. कन्हैयालाल
2. किशोर पुत्र स्व. कन्हैयालाल
   जातियान जाट निवासीगण
   पड़ासला कलॉ, तहसील
   बिलाड़ा, जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अणदाराम पुत्र शंकरराम
2. कैलाशचन्द पुत्र शंकरराम
3. श्रीमती गवरी पत्नी चिमनाराम
   जातियान जाट निवासीगण
   पड़ासला कलॉ, तहसील
   बिलाड़ा, जिला जोधपुर
4. श्रीमती नाथी पुत्री चिमनाराम
   पत्नी गोदाराम जाति जाट
   निवासी मालकोसनी तहसील
   बिलाड़ा जिला जोधपुर
5. श्रीमती संतोष पुत्री चिमनाराम
   पत्नी नेमाराम जाति जाट
   निवासी मालकोसनी, तहसील
   बिलाड़ा जिला जोधपुर
6. कुनाराम पुत्र मोतीराम
7. श्रीमती भूण्डकी पत्नी मोतीराम
8. रूघाराम पुत्र धन्नाराम
   जातियान जाट निवासीगण
   पड़ासला कलॉ तहसील
   बिलाड़ा जिला जोधपुर
9. चौथाराम पुत्र प्रतापराम
10. श्रीमती चन्दूदेवी पत्नी पेमाराम
11. सायरमल पुत्र पेमाराम
12. ललित पुत्र पेमाराम

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

13. पपीयादेवी पुत्री पेमाराम
जातियान जाट निवासीगण
पडासला कलॉ तहसील
बिलाड़ा जिला जोधपुर

14. श्रीमती छोटीदेवी पुत्री पेमाराम
पत्नी हरीश जाति जाट
निवासी चौपड़ा तहसील
सोजत सिटी जिला पाली

15. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थितः—वादीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या—1,6,8 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या—3,4,5 स्वयं उपस्थित

प्रतिवादी संख्या—2,7,9 से 12,13,14 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

प्रतिवादी संख्या—15 सरकारी पैरोकार

निर्णय　　　　　　　दिनांक २३/1/२3

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पड़ासला कलॉ तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 0.0324 हैक्टेयर (4 बिस्वा) किस्म गै.मु. बेरा आयी हुयी है। यह भूमि सयुक्त खातेदारी की भूमि है। सेटलमेन्ट के समय से शंकरराम, चिमनाराम, मोतीराम, रूघाराम पिसरान धन्नाराम का 1/3 हिस्सा तथा घीसाराम पुत्र जालाराम का 1/3 हिस्सा तथा प्रतापराम पुत्र किशनाराम का 1/3 हिस्सा सयुक्त खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है। उपरोक्त सजरा खानदान के अनुसार वक्त सेटलमेन्ट के समय दावा के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर कब्जा काश्त शंकरराम, चिमनाराम, मोतीराम, रूघाराम पिसरान धन्नाराम का 1/3 हिस्सा तथा प्रताप पुत्र किशनाराम का 1/3 हिस्सा तथा घीसाराम पुत्र जालाराम का 1/3 हिस्सा है। जिनमें से शंकरराम, चिमनाराम, मोतीराम का देहान्त हो चुका

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

घोषणा करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 से 14 की नियत खराब हो गई, वो वादीगण को अपने 1/3 हिस्से की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 04 बिस्वा में खुदे हुये कुआ में से पानी लेने का उपयोग नही करने दे रहे है। वादीगण अभी गेहूँ की फसल बोने हेतु तीन माह पहले अपने हिस्से में से पानी लेने का प्रयास किया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 14 ने वादीगण को धमकी दी कि खसरा नम्बर 286 रकबा 4 बिस्वा में कुआ में से पानी ले लिया गया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, फिर भी वादीगण ने गांव के प्रबुद्धजन लोगो को घटना की बात बतायी तो गांव के प्रबुद्धजन लोगो ने प्रतिवादी संख्या 1 से 14 को समझाया कि वादीगण को उसके हिस्से का पानी लेने का उपयोग करने दिया जावे ताकि उसका परिवार का भरण पोषण चल सके, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 14 अपनी हठधर्मिता पर अड़ गये और वादीगण को सयुक्त खातेदारी भूमि में स्थित कुए के पानी का उपयोग नही करने दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 14 वादीगण की 1/3 हिस्से की भूमि के पानी का उपयोग जबरन कर देते है। वादी संख्या 1 विधवा औरत है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 14 संख्या में ज्यादा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 14 बहुत ही झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है, जिनका मुकाबला वादीगण नही कर सकते है, वादीगण के 1/3 हिस्से की भूमि में से पानी निकालकर प्रतिवादी संख्या 1 से 14 प्रतिवर्ष लाखो रूपयों की आमदनी को प्राप्त कर लेते है, ऐसी कार्यवाही करने से वादीगण का जीवन संकट में पैदा हो गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 14 को सयुक्त खातेदारी भूमि मे खुदे हुये कुए में किसी प्रकार की बाधा या व्यवधान उत्पन्न करने का कोई अधिकार नही है, इस कारण वादीगण को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का यह दावा पेश करना पड़ रहा है। वादीगण भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 4 बिस्वा की भूमि में 1/3 हिस्सा जरिये उतराधिकार खातेदारी का है। अतः वादीगण को अपने हिस्से अनुसार कुआ में से पानी लेने का तथा कुए में लगे सिचाई उपकरण आदि का उपयोग उपभोग करने का पूरा पूरा हक व अधिकार है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 सें 14 को किसी प्रकार की दखल या बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार नही है। इस कारण वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्त में दावा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पड़ासला कलॉ तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 0.0324 हैक्टेयर (यानि 04 बिस्वा) की सयुक्त खातेदारी की भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जावे तथा ग्राम पड़ासला कलॉ तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 0.0324 हैक्टेयर (यानि 04 बिस्वा) में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 14 की सयुक्त खातेदारी की भूमि में स्थित कुआ से वादीगण को अपने हिस्से की खातेदारी भूमि की सिचाई करने हेतु पानी लेने का आदेश फरमावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 14 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो स्वयं अथवा अपने रिश्तेदार, एजेन्ट आदि द्वारा वादीगण के हक व हिस्से की खसरा नम्बर 286 की भूमि मय कुआ के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी एवं अन्य प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न नही कराये जाने का आदेश फरमावे।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–1, 6, 8 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या–1, 6, 8 की ओर से जवाबदावा पेश नही करने के कारण उनका जवाबदावा बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या–3, 4, 5 स्वयं उपस्थित हुयी, लेकिन जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण जवाब बंद किया गया, उसके बाद कोर्ट में हाजिर नही हुयी।

प्रतिवादी संख्या–2,7,9 से 12, 13, 14 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के बावजूद उनकी तरफ से कोई उपस्थित नही होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। प्रतिवादी संख्या–15 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पड़ासला कलां तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 4 बिस्वा किस्म गै.मु.बेरा आयी हुयी है, यह भूमि संयुक्त खातेदारी की है। वक्त बंदोबस्त खसरा नम्बर 286 रकबा 4 बिस्वा में खातेदार शंकरराम, चिमनाराम, मोतीराम, रूघाराम पिसरान धन्नाराम 1/3 हिस्सा, घीसाराम पुत्र जालाराम 123 हिस्सा, प्रतापराम पुत्र किशनाराम का 1/3 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में दर्ज था, विरासत नामान्तरकरण भरते समय वादीगण ससुर तथा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

दादा घीसाराम पुत्र जालाराम 1/3 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही हुआ, जो आज दिन तक बदस्तूर है।

अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का खसरा नम्बर 284 में अन्य संयुक्त खातेदार के साथ नाम जोड़ा जाने की कोई आपति नही है। प्रतिवादी संख्या–15 द्वारा जवाबदावा एडमिटेड का पेश होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता, नही रही, इसलिए दावे को साक्ष्य वादी हेतु मुकर्रर किया गया। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया, जिसकी नकल प्रतिवादी संख्या–1,6,8 के अधिवक्ता को रिसीव करायी गयी, जिस पर प्रतिवादी संख्या–1, 6, 8 के अधिवक्ता ने जीरह नही कर वादीगण का दावा स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। इस कारण उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से विदित होता है कि ग्राम पड़ासला कलॉ तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 0.0324 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी सेटलमेन्ट के समय से शंकरराम, चिमनाराम, मोतीराम, रूघाराम पिसरान धन्नाराम का 1/3 हिस्सा तथा घीसाराम पुत्र जालाराम का 1/3 हिस्सा उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में हक बनता है। वादी संख्या–1 के पिता व वादी संख्या–2 के पति कन्हैयालाल का देहान्त हो चुका है। उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि में घीसाराम पुत्र जालाराम का 1/3 हिस्सा खतौनी बंदोबस्त में स्पष्ट दर्ज है, घीसाराम के देहान्त के बाद उसके पुत्र कन्हैयालाल का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजशुदा है। जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 में कन्हैयालाल पुत्र घीसाराम 1/3 हिस्सा दर्ज है, लेकिन उसके आगे की जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में हिस्सा को नही लिखा गया है, जो एक लिपिकीय त्रुटी है। चुंकि वादी संख्या–1 के पिता व वादी संख्या–2 के पति कन्हैयालाल का देहान्त हो चुका है, इस कारण वादीगण कन्हैयालाल की खातेदारी भूमि को अपने नाम से घोषित कराने की अधिकारी है तथा अपने पिता व पति कन्हैयालाल की भूमि में अपने हिस्से अनुसार कुआं में से पानी लेने तथा कुएं में लगे सिंचाई उपकरण आदि को उपयोग उपभोग करने के अधिकारीगण हैं अतः वादीगण का दावा स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम पड़ासला कलां तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 0.0324 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी की भूमि

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

में कन्हैयालाल पुत्र घीसाराम के स्थान पर वादीगण की 1/3 हिस्से की खातेदारी की घोषित की जाती है तथा ग्राम पड़ासला कलां तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 0.0324 हैक्टेयर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–1 से 14 की संयुक्त खातेदारी की भूमि में स्थित कुआं से वादीगण को अपने हिस्से की खातेदारी भूमि की सिंचाई करने हेतु पानी लेने का आदेश पारित किया जाता है, तथा प्रतिवादी संख्या–1 से 14 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या–1 से 14 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के हक व हिस्से की खसरा नम्बर 286 की भूमि मय कुआं के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवंउपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 23/1/23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवंउपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्रीमती मोहनीदेवी पत्नी स्व. कन्हैयालाल 2. किशोर पुत्र स्व. कन्हैयालाल जातियान जाट निवासीगण पड़ासला कलॉ, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. अणदाराम पुत्र शंकरराम 2. कैलाशचन्द पुत्र शंकरराम 3. श्रीमती गवरी पत्नी चिमनाराम जातियान जाट निवासीगण पड़ासला कलॉ, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 4. श्रीमती नाथी पुत्री चिमनाराम पत्नी गोदाराम जाति जाट निवासी मालकोसनी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 5. श्रीमती संतोष पुत्री चिमनाराम पत्नी नेमाराम जाति जाट निवासी मालकोसनी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 6. कुनाराम पुत्र मोतीराम 7. श्रीमती भूण्डकी पत्नी मोतीराम 8. रूघाराम पुत्र धन्नाराम जातियान जाट निवासीगण पड़ासला कलॉ तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 9. चौथाराम पुत्र प्रतापराम 10. श्रीमती चन्दूदेवी पत्नी पेमाराम 11. सायरमल पुत्र पेमाराम 12. ललित पुत्र पेमाराम 13. पपीयादेवी पुत्री पेमाराम जातियान जाट निवासीगण पडासला कलॉ तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 14. श्रीमती छोटीदेवी पुत्री पेमाराम पत्नी हरीश जाति जाट निवासी चौपड़ा तहसील सोजत सिटी जिला पाली 15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 38 / 2020 दिनांक :– 23/1/23

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई तथा प्रतिवादी संख्या–1, 6, 8 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या–3, 4, 5 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी संख्या–2, 7, 9 से 12, 13, 14 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही तथा प्रतिवादी संख्या–15 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम पड़ासला

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कलां तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 0.0324 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी की भूमि में कन्हैयालाल पुत्र घीसाराम के स्थान पर वादीगण की 1/3 हिस्से की खातेदारी की घोषित की जाती है तथा ग्राम पड़ासला कलां तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 0.0324 हैक्टेयर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–1 से 14 की संयुक्त खातेदारी की भूमि में स्थित कुआं से वादीगण को अपने हिस्से की खातेदारी भूमि की सिंचाई करने हेतु पानी लेने का आदेश पारित किया जाता है, तथा प्रतिवादी संख्या–1 से 14 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या–1 से 14 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के हक व हिस्से की खसरा नम्बर 286 की भूमि मय कुआं के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा जिला जोधपुर

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/1/23 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा जिला जोधपुर